130

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1095-दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-12-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 55/अपील/2001-02

.....

1- बृजबिहारी सिंह तनय ईश्वर सिंह
निवासी-विजवार तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म.प्र.)
2- वंशरूप सिंह तनय पिन्टू सिंह
3- रामस्वरूप सिंह तनय पिन्टू सिंह
निवासीगण - ग्राम मढ़ेपुर तहसील हुजूर
जिला-रीवा (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- राममिलन सिंह तनय महावीर सिंह पिसरान
निवासी-मढ़ेपर तहसील हुजूर
2- जयपाल सिंह तनय राममिलन सिंह
जिला-रीवा (म.प्र.)
3- पुष्पेन्द्र सिंह
4- सतेन्द्र सिंह, पुत्रगण छोटेलाल सिंह
नाबालिग जरिये बब्ली,
निवासी-मढ़ेपुर पिता छोटेलाल सिंह तनय महावीर सिंह
तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म.प्र.)
5- मध्यप्रदेश शासन

----------अनावेदकगण

.....

श्री डी.एस. चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/4/2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-12-06 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार हुजूर द्वारा दिनांक 23-08-95 से आवेदकगण के पक्ष में नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02-02-2002 से अनावेदकगण की अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अअपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 20-12-2006 से आवेदकगण की अपील निरस्त की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष भूमि का नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 23-08-95 को नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया । नक्शा तरमीम के पूर्व इश्तहार का भी प्रकाशन नहीं किया गया था। मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया था, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की है । अनुविभागीय अधिकारी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्राधान के अनुसार आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में की गई है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती ।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 02-02-2002 एवं अपर आयुक्त रीवा 20-12-06 स्थिर रखे जाते है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,